<u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings) Saturday, 23 February 2019 / 04 Phalgun 1940 (Saka)

No. 97

1. 11:05AM Secretary, Legislative Assembly of NCT of Delhi informed that as directed by the Hon'ble Speaker, the sitting shall commence at 11:30 AM due to lack of Quorum.

11.25 AM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

2. 11:26 AM Ruling by the Chair:

The Chair stated that he had not allowed any Notices received from the Hon'ble Members except the business listed for the day.

3. 11:28 AM Adoption of Report:

Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker moved that:

"This House agrees with the **Third Report of the Business Advisory Committee** presented to the House on 22 February 2019".

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

4. 11:28 AM Presentation of the Economic Survey:

Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister presented the Economic Survey of Delhi (2018-2019).

5. 11:29 AM Discussion on Motion of Thanks on Hon'ble Lieutenant Governor's Address:

Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development initiated discussion on the following Motion of Thanks moved by him on 22 February 2019:

"That this House expresses its gratitude to Hon'ble Lieutenant Governor for his address delivered to the Assembly on 22 February 2019".

The following Members participated in the discussion

- 1. Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker
- 2. Sh. Jagdeep Singh, Hon'ble Chief Whip
- 3. Sh. Jagdish Pradhan
- 4. Sh. Nitin Tyagi
- 5. Sh. Rajesh Gupta
- 6. Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the debate.

The Motion of Thanks was put to vote and adopted by voice-vote.

- 6. 1:00 PM The Chair adjourned the House for one hour for Lunch.
- 7. 2:01 PM House reassembled.

Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker in-Chair.

8. 2:01 PM Short Duration Discussion (Rule-55):

Ms. Bhavna Gaur initiated discussion on 'Full Statehood to Delhi'.

The following Members participated in the Discussion:

- 1. Sh. Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development
- 2. Sh. Somnath Bharti
- 3. Sh. Nitin Tyagi moved the following Resolution with the leave of the House:

"This House resolves the following:

In keeping with the decades-old demand of the residents of National Capital Territory of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the country's economy, which have been strongly and unambiguously reflected in the views expressed by Hon'ble Members of this august House, the Ministry of Home Affairs, Government of India, must take all necessary legal and legislative steps to declare NCT of Delhi a full-fledged state without any further delay;

This House notes with extreme disappointment that successive Central Governments have without any valid justification attempted to undermine the basic rights of the people of Delhi by denying them statehood;

People of Delhi can no longer be kept at the mercy of a Central Government appointed Lieutenant Governor, who has no accountability towards the public and enjoys absolute power without any responsibility;

Elected representatives are directly accountable to the voters and are rightly questioned by the people on issues affecting their daily lives and developmental issues. It is, therefore, beyond any legal and reasonable understanding how a politically nominated LG be the super-boss of a democratically elected Council of Ministers which is collectively responsible to the Legislative Assembly;

Ever since 1952 and then later in 1993, when the Legislative Assembly was set-up in its present form for NCT of Delhi, every single elected Delhi government has strongly demanded statehood in order to be able to fulfill the aspirations of the people;

In 2003, the then Hon'ble Deputy Prime Minister and Home Minister Mr LK Advani had on 18th August 2003 presented the Constitution Amendment Bill and the Bill for statehood of Delhi in the Lok Sabha;

The Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, headed by the then Chairman Mr Pranab Mukherjee in its 106th Report tabled in Parliament in December 2003 had strongly endorsed the Bill. Unfortunately, however, due to dissolution of the Lok Sabha a few months later, the Bill lapsed.

Strangely, no attempt was made to revive the Bill after that despite the same party having been in power at the Centre and in Delhi for 10 years since 2004;

This House is of the view that now since almost 16 years have passed since the previous Delhi Statehood Bill was presented in Parliament and there were some shortcomings in that Bill, therefore the MHA must consult the elected government to be on the same page about the fresh draft Bill;

This House resolves that the NDMC area in Delhi, which is governed by the NDMC Act be kept under the exclusive control of the Central government and the rest of NCT of Delhi be declared a full-fledged state;

Therefore, the people of Delhi will not tolerate any further unjustified delay in granting them their rights, which have been denied for decades despite promises having been made by all political parties repeatedly in their election campaigns;

This House strongly demands that the MHA must place the feelings of the people of Delhi before both Houses of Parliament in the form of a Constitution Amendment Bill to grant full statehood for Delhi."

Discussion continued:

- 4. Ms. Bandana Kumari
- 5. Sh. Manjinder Singh Sirsa
- 6. Sh. Pankaj Pushkar
- 7. Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
- 9. 3:58 PM The Chair adjourned the House for 15 minutes for Tea-Break.
- 10. 4:21PM House reassembled.

Hon'ble Deputy Speaker in-Chair.

- 11. 4:21 PM Short Duration Discussion (Rule-55) continued:
 - 8. Sh. Mohinder Goyal

(4:31 PM : Members of BJP came into the well of the House in protest against the audio/video recording played by Sh. Mohinder Goyal in his speech.

They walked out of the House in the protest.)

Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.

The Resolution moved by Sh. Nitin Tyagi was put to vote and adopted by voice-vote.

12. 4.53 PM The Chair adjourned the House upto 02.00 PM on Monday, 25 February 2019.

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग–1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शनिवार, 23 फरवरी, 2019/04 फाल्गुन, 1940 (शक्)

संख्या–९७

1. 11.05 बजे सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, कोरम के अभाव के कारण सदन की बैठक पूर्वाह्न 11.30 बजे प्रारम्भ होगी।

11.25 बजे श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

2. 11.26 बजे अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा सदस्यों से प्राप्त किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया है।

3. 11.28 बजे **प्रतिवेदन पर सहमति** :

सुश्री राखी बिडला ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

"यह सदन दिनांक 22 फरवरी, 2019 को सदन में प्रस्तुत **कार्य मंत्रणा समिति के तृतीय प्रतिवेदन** से सहमत है।"

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

4. 11.28 बजे **आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण** :

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण (2018–19) प्रस्तुत किया।

5. 11.29 बजे माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा :

श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री ने दिनांक 22 फरवरी, 2019 को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ की :

''यह सदन दिनांक 22 फरवरी, 2019 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा को दिये गये अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।''

निम्नलिखित सदस्यों नें चर्चा में भाग लिया :-

- 1. सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष
- 2. श्री जगदीप सिंह, मुख्य सचेतक
- 3. श्री जगदीश प्रधान
- 4. श्री नितिन त्यागी
- 5. श्री राजेश गुप्ता
- 6. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

- 6. 1.00 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए एक घंटे तक के लिए स्थगित की।
- 7. 2.01 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**

सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं।

8. 2.01 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)** :

सुश्री भावना गौड़ ने "दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित सदस्यों नें चर्चा में भाग लिया :-

- 1. श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री
- 2. श्री सोमनाथ भारती
- 3. श्री नितिन त्यागी ने सदन की अनुमित से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :

"यह सदन संकल्प करता है कि:-

बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए तथा देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के समानुपातिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासियों की दशकों पुरानी आकांक्षाओं के दृष्टिगत, जो इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में दृढ़तापूर्वक तथा स्पष्टतापूर्वक प्रतिबिंबित हुई हैं, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को बिना किसी विलम्ब के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित करने के लिए सभी आवश्यक वैधानिक तथा विधायी कदम उठाने चाहिएं,

यह सदन अत्यधिक निराशापूर्वक गौर करता है कि एक के बाद एक केन्द्र सरकारों ने बिना किसी वैध औचित्य के, पूर्ण राज्य से मना करके दिल्ली के लोगों के मूलभूत अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया है.

दिल्ली के लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल की दया पर आश्रित नहीं रखा जा सकता, जिनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है और वे बिना किसी उत्तरदायित्व के पूर्ण शक्ति का आनन्द लेते हैं.

निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं और दैनिक जीवन तथा विकास सम्बन्धी मामलों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जनता द्वारा वस्तुतः उनसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अतः यह किसी वैधानिक तथा तार्किक समझ से परे है कि किस प्रकार, राजनीतिक रूप से मनोनीत उप राज्यपाल, लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित उस मंत्री परिषद का सुपर बॉस हो सकता है, जो सामृहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ?

वर्ष 1952 से तथा बाद में वर्ष 1993 में जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा अपने इस वर्तमान स्वरूप में गठित की गई, प्रत्येक निर्वाचित दिल्ली सरकार में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होने के लिए जोरदार ढंग से राज्य का दर्जा देने की मांग की,

वर्ष 2003 में तत्कालीन माननीय उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री श्री एल.के.आडवाणी ने 18 अगस्त 2003 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक तथा दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया,

गृह मंत्रालय से सम्बन्धित संसद की स्थायी सिमिति ने तत्कालीन सभापित श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में दिसम्बर 2003 में संसद में प्रस्तुत अपनी 106वीं रिपोर्ट में दृढ़तापूर्वक विधेयक का समर्थन किया। हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ महीनों बाद लोकसभा के भंग होने के कारण विधेयक समाप्त हो गया,

आश्चर्यजनक रूप से इसके बाद विधेयक को पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया जबकि एक ही पार्टी वर्ष 2004 से 10 वर्ष तक केन्द्र तथा दिल्ली में सत्ता में रही,

इस सदन का यह विचार है कि चूंकि पिछला दिल्ली पूर्ण राज्य विधेयक प्रस्तुत किये हुये अब लगभग 16 वर्ष का समय बीत चुका है और उस विधेयक में कुछ कमियां थीं, अतः गृह मंत्रालय को नये प्रारूप विधेयक के संबंध में निर्वाचित सरकार से परामर्श करना चाहिए,

यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का क्षेत्र जो एन.डी.एम.सी अधिनियम के तहत शासित होता है, उसे केवल केन्द्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाये तथा शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित किया जाये,

अतः दिल्ली की जनता अपने अधिकारों को प्राप्त करने में और अधिक अनुचित विलम्ब सहन नहीं करेगी, जिन्हें अपने चुनाव अभियानों में सभी राजनीतिक दलों द्वारा लगातार किये गये वायदों के बावजूद दशकों से वंचित किया गया है,

यह सदन दृढ़तापूर्वक मांग करता है कि गृह मंत्रालय दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिल्ली की जनता की भावनाओं को प्रस्तुत करे।"

चर्चा जारी.....

- 4. श्रीमती बंदना कुमारी
- 5. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
- 6. श्री पंकज पुष्कर
- 7. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष

9. 3.58 बजे उपाध्यक्ष महोदया ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक जलपान अवकाष के लिए स्थिगित की।
10. 4.21 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।
माननीय उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई।
11. 4.21 बजे अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) जारी:

8. श्री महेन्द्र गोयल
(4.31 बजे : भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री महेन्द्र गोयल द्वारा अपने भाषण में ऑडियो विडियो रिकार्डिंग चलाने के विरोध में सदन के वैल में आ गये।
उन्होंने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।)
श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
श्री नितिन त्यागी द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
12. 4.53 बजे उपाध्यक्ष महोदया ने सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थिगत की।

दिल्ली 23 फरवरी, 2019 सी. वेलमुरूगन सचिव